

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05-02-21

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को मय चोरी की 01 मोटरसाईकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट मय एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 04.02.2021 को चेकिंग के दौरान 01 शातिर मोटरसाईकिल चोर **मोनू तोमर** को हिन्दन बैराज, थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **एक चोरी की मोटर साईकिल व एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर** बरामद किये गये।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1- मोनू तोमर पुत्र वीर सिंह, नि. विगवाना, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता – सुदामापुरी, बी ब्लॉक, बाईपास, थाना विजयनगर, गा.बाद

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक अदद मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्रो रंग काला सम्बन्धित मु.अ.सं. 033012/20 धारा 379/411 भादवि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली व एक फर्जी नम्बर प्लेट UP 14CW 3581

गिरफ्तार अभि०गण का आपराधिक इतिहास

- 1-मु०अ०सं० 104/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम अभि० मोनू तोमर
- 2-मु०अ०सं० 105/21 धारा 482,411 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम अभि० मोनू तोमर
- 3-मु०अ०सं० 033012/20 धारा 379,411 भादवि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली बनाम अभि० मोनू तोमर

गिरफ्तार/सहयोग करने वाली पुलिस टीम

- 1-प्र०नि० श्री महावीर सिंह थाना विजयनगर गा०बाद
- 2-उ०नि० श्री महक सिंह थाना विजयनगर गा०बाद
- 3-उ०नि० श्री अनंगपाल राठी थाना विजयनगर गा०बाद
- 4-है० का० 1237 गुल मौहम्मदथाना विजयनगर गा०बाद
- 5-का० 783 मुनव्वर चौधरी थाना विजयनगर गा०बाद



थाना कविनगर द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 48 पच्चे अंग्रेजी हरियाणा मार्का

शराब बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 04.02.21 को समय रात्रि 21.05 बजे रेलवे फाटक अवतिका के पास थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अर्जुन पुत्र राजकुमार निवासी रविदास नगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 48 पच्चे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 137/21 धारा 60/63 EX ACT पंजीकृत किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध शराब की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अर्जुन पुत्र राजकुमार निवासी रविदास नगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष शिक्षा 6 वी पास।

बरामदगी का विवरण -

48 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण-

1-मु0अ0सं0 137/21 धारा 60/63 EX ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना कविनगर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 30 ग्राम नशीला पाउडर

(एलप्रोजोलम) बरामद

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 04.02.21 को समय रात्रि 23.00 बजे लाल कुँआ पुल के नीचे थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त अजरुद्दीन पुत्र इजाजुद्दीन निवासी कल्लू गढी थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 30 ग्राम नशीला पाउडर (एलप्रोजोलम) नाजायज बरामद हुआ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 138/21 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध नशीले पाउडर की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अजरुद्दीन पुत्र इजाजुद्दीन निवासी कल्लू गढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष शिक्षा 5 वी पास।

बरामदगी का विवरण -

30 ग्राम नशीला पाउडर (एलप्रालोजम) नाजायज

पंजीकृत अभियोगो का विवरण-

1-मु0अ0सं0 138/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह व नम्बर प्लेट बदलकर कार रखने वाले शातिर 03 अभियुक्तों को किया

गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चैकिंग स्कीम ABC के तहत #ऑपरेशन निहत्था के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 04.02.21 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध अस्लाहो से लैस होकर फर्जी नम्बर प्लेट (DL8CNB 5058) की कार मारुति स्टीम जिसका सही नम्बर DL 8CNB 0858 है के साथ डायमण्ड फ्लाई ओवर के पास से समय रात्रि 23.50 बजे अभियुक्त गण (1) आरिफ पुत्र नूर मौहम्मद निवासी डी 123 गली नं0 03 जनता कालोनी थाना वेलकम पूर्वोत्तर दिल्ली (2) शराफत अली पुत्र शौकत अली निवासी डी 50 जनता कालोनी थाना वेलकम पूर्वोत्तर दिल्ली (3) साहिल पुत्र अनीश अहमद निवासी ई 58 जनता कालोनी थाना वेलकम पूर्वोत्तर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आरिफ उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर व अभियुक्त शराफत तथा साहिल उपरोक्त के कब्जे से दो चाकू नाजायज बरामद हुए।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो अवैध अस्लाहो से लैस होकर फर्जी नम्बर प्लेट (DL8CNB 5058) की कार मारुति स्टीम जिसका सही नम्बर DL 8CNB 0858 है को लूट/चोरी के उद्देश्य से चलाते हैं, जिनको पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त गण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

- (1) आरिफ पुत्र नूर मौहम्मद निवासी डी 123 गली नं0 03 जनता कालोनी थाना वेलकम पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र 25 वर्ष शिक्षा अनपढ़।
- (2) शराफत अली पुत्र शौकत अली निवासी डी 50 जनता कालोनी थाना वेलकम पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र 39 वर्ष शिक्षा 5वी पास।
- (3) साहिल पुत्र अनीश अहमद निवासी ई 58 जनता कालोनी थाना वेलकम पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र 41 वर्ष शिक्षा 8 वी पास।

बरामदगी का विवरण-

- फर्जी नम्बर प्लेट (DL8CNB 5058) की कार मारुति स्टीम जिसका सही नम्बर DL 8CNB 0858 है।
- 01 तमंचा 12 बोर 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज।
- 02 चाकू नाजायज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ-

- मु0अ0सं0 139/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 142/2021 धारा 482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शराफत अली-

- मु0अ0सं0 140/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 142/2021 धारा 482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 357/2016 धारा 379/34 भादवि थाना मोतीनगर दिल्ली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साहिल-

- मु0अ0सं0 139/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 142/2021 धारा 482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अवैध नषे के कारोबार में लिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 42 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौषिक की टीम द्वारा दिनांक 04.02.2021 को समय करीब 23.30 बजे डी0एल0एफ0 स्कूल राजेन्द्र नगर से अभियुक्त विषाल पुत्र दयाचन्द नि0 बाल्मीकि कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद को 42 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अवैध नशीले पाउडर को सस्ते दामों में खरीदकर नषे के आदि लोगों को महंगे दामों में साहिबाबाद व आसपास के क्षेत्र में बिक्री करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- विषाल पुत्र दयाचन्द नि0 बाल्मीकि कालोनी साहिबाबाद थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- मु0अ0सं0 166/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

- 42 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज बरामद



थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय गाजियाबाद के कुशल निर्देशन में थाना भोजपुर क्षेत्र में आज दिनांक 05.02.21 को समय करीब 12.05 बजे मु.अ.स. 29/2021 धारा 147,148,323,504,506,452 भादवि का एक अभियुक्त सचिन उर्फ आशिक पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम गढी मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सचिन उर्फ आशिक पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम गढी मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1- मु.अ.स. 29/2021 धारा 147,148,323,504,506,452 भादवि



450 अदद पेटी (4050 लीटर) अवैध अग्रेजी शराब बिना मार्का कीमत करीब 20 लाख रुपये मय एक अदद टाटा डीसीएम न0-HR 63 D 2190 बरामद होना

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी (U.T) श्री सुनाल कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में दि0 04.02.21 को प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के साथ मिलकर उ0नि0 श्री अमित मलिक व उ0नि0 श्री जोगेन्द्र मलिक द्वारा पैरीफेरल एक्सप्रेसवे सुन्दरदीप टोल के पास मसूरी समय करीब 21.10 बजे एक गाड़ी TATA डीसीएम को रोका गया तो गाड़ी चालक उतर कर भाग गया। उनका पीछा किया गया तो अन्धेरे का फायदा उठाकर उक्त व्यक्ति भागने में सफल रहा। गाड़ी का डाला खोलकर देखा तो गाड़ी में 450 पेटी अग्रेजी शराब बिना मार्का 750 ML कुल 5400 बोतल (4050 ली0) बरामद हुयी। जिसकी जांच मौके पर आबकारी निरीक्षक श्री विवेक दूबे द्वारा सूंघ कर देखा गया तो शराब की गंध आ रही थी। गाड़ी पर नम्बर प्लेट पर रजि0नं0 HR 63 D 2190 अंकित है गाड़ी पर अंकित रजिस्ट्रेशन नं0 को वाहन फोर ऐप पर डालकर चैक किया गया तो कोई डिटेल् प्राप्त नहीं हुयी। गाड़ी के चैचिस नं0 व इंजन न0 को सर्च किया गया तो गाड़ी का सही नं0 HR 63 B 1109 ज्ञात हुआ। अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 50/21 धारा 60 आबकारी अधि0 व 482 भादवि पंजीकृत किया गया। गाड़ी के रजि0 नम्बर से वाहन स्वामी की तलाश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अपराध करने का तरीका:- दिनांक 04.02.21 को मुखबिर खास सूचना मिली कि एक एक टाटा गाड़ी में अग्रेजी शराब की पैटिया भरकर पैरीफेरल एक्सप्रेसवे पर पानीपत की तरफ से सुन्दरदीप कॉलेज के पास टोल से होकर गाजियाबाद जाने वाला है। मुखबीर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक श्री विवेक दूबे मय अपनी टीम व उ0नि0 श्री अमित कुमार मय अपनी टीम के साथ मिलकर सुन्दरदीप कॉलेज के पास संघन चैकिंग की गयी मुखबिर की सूचना के आधार पर एक गाड़ी TATA डीसीएम को रोका गया तो गाड़ी चालक उतर कर भाग गया। उसका पीछा किया गया तो अन्धेरे का फायदा उठाकर उक्त व्यक्ति भागने में सफल रहा। गाड़ी का डाला खोलकर देखा तो गाड़ी में 450 पेटी अग्रेजी शराब बिना मार्का नाजायज 750 ML कुल 5400 बोतल (4050 ली0) बरामद हुयी। शराब माफियाओं द्वारा उक्त डीसीएम केण्टर से भ्रमित करने व पुलिस से बचने के लिए गाड़ी की रजि0न0 प्लेट को बदल कर शराब की पेटीयो को अण्डे की खाली कैरटो से छिपाकर तस्करी हेतु ले जाया जा रहा था।

बरामदगी का विवरण:-

- 450 अदद पेटी कुल 5400 बोतल(4050ली0) अग्रेजी शराब बिना मार्का नाजायज 750 ML कीमत करीब 20 लाख रुपये
- एक अदद गाड़ी TATA डीसीएम

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 50/21 धारा 60 Ex Act / 482 भादवि थाना मसूरी गा0बाद।



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा खाईबाडी कर सट्टा लगा रहे 05 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 51 पर्ची व जनतरी की 25 प्रति,माल फड 16800 रुपये व जामा तलाशी के 2055 रुपये बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 05/02/2021 को मुखविर खास की सूचना पर शनि मन्दिर के पास डासनागेट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से पुलिस टीम द्वारा खाईबाडी कर सट्टा खेल रहे 05 नफर अभियुक्तगण 1.शकील पुत्र जान मौहम्मद 2. समीम पुत्र मजैबुल 3. धर्मवीर पुत्र मुन्ना 4.आशीष त्यागी पुत्र स्व0 जगनन्दन व 5. कपिल पुत्र केवल कृष्ण को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 51 पर्ची व जनतरी की 25 प्रति,माल फड 16800 रुपये व जामा तलाशी के 2055 रुपये बरामद हुये । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 0066/2021 धारा 13 जुआँ अधि0 पंजीकृत है ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आने जानो वाले व्यक्तियों से सट्टा पर्ची से साईबाडी कर सट्टा लगाते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- शकील पुत्र जान मौहम्मद निवासी प्रिन्स के किराये का मकान कल्लूपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
- समीम पुत्र मजैबुल निवासी नेहरुनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद ।
- धर्मवीर पुत्र मुन्ना निवासी मोनू पानी वाले मकान पर किरायेदार जगदीशनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद ।
- आशीष त्यागी पुत्र स्व0 जगनन्दन निवासी सिंघल वाली गली घूकनामोड थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद ।
- कपिल पुत्र केवल कृष्ण निवासी खसरा 27/5 बुराडी सन्तनगर थाना बजीराबाद नई दिल्ली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शकील उपरोक्त: -

- मु0अ0सं0 0066/2021 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीम उपरोक्त: -

- मु0अ0सं0 0066/2021 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त: -

- मु0अ0सं0 0066/2021 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशीष त्यागी उपरोक्त: -

- मु0अ0सं0 0066/2021 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कपिल उपरोक्त: -

- मु0अ0सं0 0066/2021 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

- अभियुक्तगण के कब्जे से 51 पर्ची व जनतरी की 25 प्रति,माल फड 16800 रुपये व जामा तलाशी के 2055 रुपये बरामद ।



थाना मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0स0 1224 /2020 धारा 498-A/323/504/506/313/354/376/511 भादवि व ¼ DP ACT थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद मे वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के प्रवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 1224 /2020 धारा 498-A/323/504/506/313/354/376/511 भादवि व ¼ DP ACT थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद मे वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

नाम पता अभियुक्त –

- अंकित उर्फ अमित पुत्र विजेन्द्र निवासी चण्डी मन्दिर के पास आर्य नगर गद्दी वाला मोहल्ला पिलखुआ थाना पिलखुआ जिला हापुड़ उम्र करीब 24

नोएडा से चोरी की गयी मो0सा0 व उसके नकली कागजात बनाकर चलाने वाला अभि0 बाईक सहित गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान #आपरेशन420गाजियाबाद #Operation420Gzb के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभि0 मो0 रफी पुत्र शरीफ अहमद नि0 गांव सघन मछरिया थाना असमौली जनपद सम्भल को दिनांक 04/02/2021 समय 21.40 बजे जज कम्पाउण्ड के सामने चौकी क्षेत्र दयानन्दनगर थाना सिहानीगेट से मय नोएडा से चोरी की मो0सा0 स्पलेन्डर प्लस रंग काला न0 UP-21AM6969 व तलासी से मो0सा0 के कूटरचित पंजीकरण प्रमाण पत्र रजि0 न0 UP-21AM6969 के गिरफ्तार किया गया जबकि जाँच से मो0सा0 का असली न0 DL7SBN6055 पाया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उपरोक्त मो0सा0 मैंने अपने दो साथी 1.विकास चौधरी पुत्र नामालूम नि0 गाँव सहेलिया थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 2.हरजीत पुत्र विजयपाल नि0 गाँव सीमली थाना असमौली जनपद सम्भल के साथ मिलकर करीब 5-6 वर्ष पहले नोएडा से चोरी की थी व तीनों ने मिलकर कूटरचित आर0सी0 तैयार की थी । अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्तगण

मो0 रफी पुत्र शरीफ अहमद नि0 गांव सघन मछरिया थाना असमौली जनपद सम्भल

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 169/21 धारा 411/414/482/420/467/468/471 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. (एक पुलिसदे में कूटरचित आरसी व एक पुलिसदे में फर्जी नम्बर प्लेट)
2. एक अदद मोटरसाइकिल नं0 UP 21AM 6969 स्पलेन्डर प्लस



दिनांक 04.02.21 को कस्बा मसूरी में महिला के साथ हुई छेड़खानी में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.02.21 को श्रीमति हिना पत्नि वसीम ने थाना आकर सूचना दी कि नूरहसन पुत्र नूरआलम निवासी मसूरी मेरे साथ छेड़छाड़ करता है इस सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 49/21 धारा 354 भादवि वादी श्रीमति हिना पत्नि वसीम निवासी ताज कालोनी थाना मसूरी गाजियाबाद दिनांक 04.02.21 समय 21.54 बजे पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री कलानिधि नैथानी ने उपरोक्त महिला सम्बन्धित अपराध के दृष्टिगत तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज राजा को तत्काल घटना के सम्बन्ध में अभि0 की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी (U.T) श्री सुनील कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मसूरी श्री राघवेन्द्र सिंह व उ0नि0 श्री रमेश चन्द गौतम है0का0 1104 योगेन्द्र शर्मा ने दिनांक 05.02.21 को उपरोक्त टीम द्वारा अभि0 नूरहसन पुत्र नूरआलम निवासी कस्बा व थाना मसूरी को समय करीब 08.55 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण:- अभियुक्त नूरहसन उपरोक्त द्वारा मुकदमा वादिया के साथ रास्ते में जाते हुये छेड़खानी की गयी।

नाम पता अभियुक्त -

1- नूरहसन पुत्र नूरआलम निवासी कस्बा व थाना मसूरी

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 49/2021 धारा 354 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

